(Authoritative English text of this Department Notification No. STE-F(4)-1/2019-loose dated 21-01-2025 as required under clause 3 of article 348 of the Constitution of India.

Government of Himachal Pradesh
Department of Environment, Sci. Tech.& Climate Change

No. STE-F(4)-1/2019-L Dated: Shimla-2 21st January, 2025.

NOTIFICATION

WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh vide this Department's Notification No. STE-F-(4)-1/2020 dated 20th July, 2022, No. STE-F-(4)-1/2019-L dated 13th October, 2022 and No. STE-F-(4)-1/2020 dated 10th July, 2024 with an objective to improve plastic waste management system, in exercise of the power conferred under sub-section (1) of section 3 of the Himachal Pradesh Non-Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, had imposed ban on certain one time use plastic (Single Use Plastic) items including carry bags, thermocol items made of non-biodegradable material as listed in the Schedule appended to the Act *ibid*, and authorized certain officers of different Departments to compound any offence or to institute proceedings against the violators in the competent Court of Law as per relevant provision of the Act *ibid*;

AND WHEREAS, despite above ban, it has come to the notice of the Government that some other type of plastic carry bags named as biodegradable/compostable bags, having one time use, made of biodegradable plastic used for serving and consuming food are still in use in the State. It is indicated that bio-degradation of such items takes place at a particular temperature of 35°C to 40°C in open conditions in approximately six months which is not attainable in Hill States like Himachal Pradesh where normal average temperature ranges maximum up to 30°C-35°C and drops below freezing point in winter season. These biodegradable/compostable bags are causing environmental pollution and leading to indiscriminate littering. To curb this menace, the Government has amended the definition of 'non-biodegradable material' as specified in the Section 2, Clause (ee) of the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023 as under:-

*'**Non-biodegradable material**' means the material which cannot be decomposed or degraded by action of micro-organisms, sunlight or other natural actions and includes goods made or manufactured from Polythene, Nylon or other plastic substances such as*

Poly-Vinyl-Chloride (PVC), Poly-Propylene and Poly-styrene and any material which is specified to be compostable/bio-degradable at a particular temperature level of 35°C to 40°C in open conditions for degradation in approximately six months time or any other material which is not degradable on day to day basis in natural climatic conditions of State of Himachal Pradesh as specified in the Schedule appended to this Act.

NOW THEREFORE, the Governor, Himachal Pradesh in supersession of the aforesaid Notifications No. STE-F-(4)-1/2020 dated 20th July, 2022, No. STE-F-(4)-1/2019-L dated 13th October, 2022 and No. STE-F-(4)-1/2020 dated 10th July, 2024 and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 3-A of the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995 and in pursuance to the amended definition of *'non-biodegradable material'* as specified in the section 2, clause (ee) of the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023, is pleased to direct that no person including shopkeepers, vendors, wholesalers, retailers, hawkers, *rehariwala*, etc. shall sale and use the following one time use plastic (Single Use Plastic) items made of non-biodegradable material as listed in the Schedule appended to the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023 and biodegradable/compostable bags made of non-biodegradable material as specified in the H.P. Non-Biodegradable Garbage (Control) Amendment Act, 2023 as under:-

Particulars of Items	
1.	*Plastic carry bags (irrespective of their sizes and thickness)*
2.	*Plates, cups, glasses (Plastic & Thermocol both)*
3.	*Cutlery such as forks, spoons, bowls, katoris, knives, straws, trays and any other cutlery items (Plastic & Thermocol both)*
4.	*Ear buds with plastic sticks*
5.	*Plastic sticks for balloons*
6.	*Plastic flags*
7.	*Candy sticks*
8.	*Ice-cream sticks*
9.	*Polythene (Thermocol) for decoration*
10.	*Wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets*
11.	*Plastic or PVC banners less than 100 micron*
12.	*Stirrers*
13.	*Non-woven plastic carry bags less than 80 Gram Square Meter (GSM)*
14.	*Biodegradable/Compostable plastic carry bags*

Any person, institution/commercial establishment (educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweetshops, *dhabas*, religious institutions, industrial establishments, banquet halls, etc.) causing breach of the aforesaid prohibition shall be liable for the penalties as per the provisions of the Act *ibid*;

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to accord approval that all manufacturers of Non-woven plastic carry bags more than 60 Gram per Square Meter (GSM) and less than 80 GSM and the 'Compostable/ Biodegradable Plastic Carry bags' as mentioned at Sr. No. 14 in para-3 above may continue manufacturing of these materials in their established Units subject to the condition that its sale shall be made outside the State of Himachal Pradesh;

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to authorize the officers, as per the details contained in **Annexure-A,** in exercise of the powers conferred by section 7(A) and section 11(1) of the H.P. Non- Biodegradable Garbage (Control) Act, 1995, in supersession of this Department's notifications referred to in para-1 above, for entry and inspection under section 7(A), to compound any offence under Section 11. The concerned authorized officer(s), while compounding the offences committed under the Act *ibid,* shall specify the sum for compounding as per the following criteria;

Sr. No.	**Quantity of prohibited plastic items and bio-degradable/compostable plastic carry bags**	**Amount (₹)**
1.	Upto 100 gms	500
2.	101gms to 500 gms	1500
3.	501 gms to 1kg	3000
4.	Above 1 kg to 5 kgs	10,000
5.	Above 5 kgs to 10 kgs	20,000
6.	More than 10 kgs	25,000
(B)	Littering of one time use plastic items, compostable/ bio-degradable Plastic Carry bags, used for serving and consuming food or otherwise, by **individual(s) or any institution/commercial** establishment (educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweetshops, *dhabas*, temple complexes, industrial establishment, banquet halls *etc*.) within its premises and on roads, streets, hill slopes, drains, forest areas, public parks, all public places etc.	5000

The above ban will come into force with immediate effect except those compostable/ bio-degradable Plastic Carry bags as mentioned at Sr. No. 14 of para-3 for which the ban will be effective after three months of the date of publication of this notification in the

Rajpatra (e-Gazette) in the entire State of Himachal Pradesh, in the public interest, so that the individuals, stockiest, shopkeepers may dispose off their stocks and no financial loss is caused to them.

By Order,

Prabodh Saxena
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

Endst. No. STE-F(4)-1/2019-L Dated: Shimla-2, 21-01-2025.

Copy forwarded to the followings for information and necessary action to:

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. The Secretary to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Private Secretaries to the Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh.
4. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
5. All the Divisional Commissioners of Himachal Pradesh.
6. All Heads of Department of Himachal Pradesh.
7. All the Deputy Commissioners of Himachal Pradesh.
8. The Director (Environment, Science & Technology), Paryavarn Bhawan, Near U.S. Club Shimla-1.
9. The Member Secretary, H.P. State Pollution Control Board, Phase-III, New Shimla-9.
10. The Addl.LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.
11. The Commissioners/Executive Officer, Municipal Corporations/Municipal Councils in Himachal Pradesh.
12. Guard file.

21-01-2025

(Sat Pal Dhiman)
Addl.Secretary (Env. Sci.Tech.&CC) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

Annexure-A

List of Officers/officials authorized to compound offences in respect of prohibited items.		
Sr. No.	**Department**	**Designation**
1.	Revenue	1. All the Addl. District Magistrates 2. All the Addl. Deputy Commissioners 3. All the Additional District Magistrates, 4. All the Sub-Divisional Magistrates, 5. All the Tehsildars and Naib Tehsildars
2.	Police	1. All the SPs in Districts 2. All the Additional SPs in Districts. 3. All the Deputy Superintendents of Police 4. Al the SHOs (Station House Officers) 5. All the Head Constables.
3.	UDD	1. All the Commissioners and the Assistant Commissioners, Municipal Corporations. 2. All the Executive Officers of Municipal Councils 3. All the Secretaries of Nagar Panchayats in HP 4. All the Health officers, MC 5. All the Chief Sanitary Inspectors and Sanitary Inspectors of Urban Local Bodies
4.	Health	1. All the Chief Medical Officers 2. All the Block Medical Officers, 3. All the Drug Inspectors
5.	State Taxes and Excise	1. All the Deputy / Assistant Excise & Taxation Commissioners 2. All the Excise and Taxation Officers
6.	Forest	1. All the Territorial Divisional Forest Officers. 2. All the Wildlife Divisional Forest Officers. 3. All the Assistant Conservator of Forests 4. All the Range Forest Officers 5. All the Deputy Range Officers/Block Forest Officers.
7.	Environment, Science Technology &CC	1. The Director/Additional Director of the Department of Environment, Science Technology &CC 2. All Environmental Engineers and Scientific Officers of the Department of Environment, Science &Technology. 3. All Environmental Engineers and Scientific Officers of the HPSPCB.
8.	Tourism	1. All the District Tourism Development Officers in HP posted in the Districts 2. All the General Manager, Deputy General Managers, Assistant General Managers and Managers of HP Tourism Hotel.

9.	Food & Supplies	1. All the District Food & Supplies Controllers in HP, 2. All the Food Inspectors 3. All the Food Safety Inspectors,
10.	RDD/ Panchayati Raj	1. All the Block Development Officers, 2. All the Panchayat Inspectors, Sub-Panchayat Inspectors and Secretaries of Gram- Panchayats
11.	HRTC	1. All the Regional Transport Officers. 2. All the Regional Managers and Bus Adda Incharges of HRTC.
12.	LAC	All the Temple Officers.
13.	Industries	1. The Chief Executive Officer Baddi, Barotiwala and Nalagarh Development Authority. 2. All the Executive Engineers/Assistant Engineers/Jr. Engineers, Baddi, Barotiwala and Nalagarh Development Authority 3. All Deputy Directors and General Managers, DIC of the Department.

******

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन

संख्याः एस.टी.ई.–एफ(4)–1/2019–लूज तारीखः शिमला–2, 21 जनवरी, 2025

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड–कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3(क) की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस.टी.–एफ(4)–1/2020 तारीख 20 जूलाई, 2022, संख्याः एस. टी–एफ(4)–1/2019–एल तारीख 13 अक्तूबर, 2022 और संख्याः एस.टी.–एफ(4)–1/2020–एल तारीख 10 जूलाई, 2024 को, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाने के प्रयोजन से, पूर्वोक्त अधिनियम से सलंग्न अनुसूची में सूचीबद्व अनाशित कूडा–कचरा पदार्थ से बने कैरी बैग, थर्मोकोल वस्तुओं एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) हेतु प्रतिबंध लगाया गया था और पूर्वोक्त अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध के अनुसार सक्षम न्यायालय में विभिन्न विभागों के कतिपय अधिकारियों को अपराधों का शमन करने के लिए अतिक्रमण–कारियों के विरूद्व कार्यवाही संस्थित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

उपरोक्त प्रतिबंध के बावजूद सरकार के ध्यान में यह आया है कि राज्य के भीतर, भोजन परोसने और सेवन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जीवनाशित प्लास्टिक से बने और एक बार उपयोग में आने वाले कुछ अन्य प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, जिन्हे जीवनाशित खाद बनाने योग्य बैग के नाम से जाना जाता है, अभी भी प्रचलन में हैं। यह इंगित किया गया है कि ऐसी वस्तुओं का जीव अनाशित खुले वातावरण में 35 से 40 सेटीग्रेड के विशष्ट तापमान पर छह मास में घटित होता है, जो हिमाचल प्रदेश जैसे पहाडी राज्यों जहां सामान्य औसत तापमान अधिकतम 30 डिग्री से 35 डिग्री सेटीग्रेड तक रहता है और शीत ऋतु में यह हिमांक बिंदू से नीचे चला जाता है, में प्राप्त करने योग्य नही है। ये खाद बनाने योग्य/जीव नाशित बैग पर्यावरणीय प्रदूषण और अव्यवस्थित कचरे के फैलाव को कारित कर रहे है। इस संकट को टालने के लिए, सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूडा–कचरा (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा 2 में खंड (ड़ड़) में यथा विनिर्दिष्ट "जीव अनाशित सामग्री" की परिभाषा को संशोधन किया है जो निम्नानुसार हैः–

'जीव अनाशित सामग्री' से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसका, सुक्ष्म जीवों, सूर्य के प्रकाश या अन्य प्रकृतिक क्रियाओं द्वारा विद्यटन और अवक्रमण नही किया जा सकता है और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पॉलीथीन, नाइलोन या अन्य प्लास्टिक–पदार्थ जैसे

पॉली–विनायल–कार्बोहाइड्रेटस (पी.वी.सी.) पॉलीप्रापाइलीन और पॉली–स्टाइरीन से बनाया गया या निर्मित माल और कोई सामग्री जो लगभग छह मास समयावधि में विघटन के लिए विवृत स्थितियों में 35 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के विशष्ट तापमान स्तर पर खाद बनाने योग्य जीवनाशित होने के लिए विनिर्दिष्ट है या कोई अन्य सामग्री जो हिमाचल प्रदेश राज्य की प्राकृतिक जलवायु परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन के आधार पर अनाशित है।'

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपरोक्त अधिसूचना संख्याः एस.टी.ई.–एफ–(4)–1/2020 तारीख 20 जुलाई, 2022, संख्याः एस.टी.ई.–एफ–(4)–1/2019–एल तारीख 13 अक्तूबर, 2022, और संख्याः एस.टी.ई.–एफ–(4)–1/2020 तारीख 10 जुलाई, 2024 के अधिक्रमण में और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कुडा–कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3(क) की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूडा–कचरा (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 की धारा–2 में खंड (ड़ड़) में यथा विनिर्दिष्ट 'जीव अनाशित सामग्री' की संशोधित परिभाषा के अनुसरण में, निदेश देते है कि दुकानदार, विक्रेता, थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेता, फेरीवाले, रेहडीवाले आदि सहित कोई भी व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूडा–कचरा (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 मे यथा विनिर्दिष्ट जीव अनाशित सामग्री से बने खाद बनाने योग्य जीव नाशित बैग और हिमाचल प्रदेश जीव–अनाशित कूडा–कचरा (नियन्त्रण) संशोधन अधिनियम, 2023 से संलग्न अनुसूची में यथा सूचीबद्ध जीव अनाशित सामग्री से बने निम्नलिखित एक बार उपयोग प्लास्टिक (सिंगल यूज प्लास्टिक) वस्तुओं की विक्री और उपयोग नहीं करेगा। जो निम्नानुसार हैः–

वस्तुओं की विशिष्टयां	
1.	प्लास्टिक कैरी बैग (उनके आकार और मोटाई पर ध्यान दिए बिना)।
2.	प्लेटें, कप, गिलास (प्लास्टिक और थर्मोकोल दोनों)।
3.	कटलरी जैसे कांटे चम्मच, कटोरे, कटोरी, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे और कोई अन्य कटलरी वस्तुएं (प्लास्टिक थर्मोकोल दोनो)।
4.	प्लास्टिक की छड़ियों के साथ कान की कलियां।
5.	गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छडें।
6.	प्लास्टिक के झंड़े।
7.	कैंडी की छड़े।
8.	आईक्रीम के छडें।
9.	सजावट के लिए पॉलीथीन (थार्मोकोल)।
10.	मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्डो और सिगरेट के डिब्बों पर फिल्म लपेटना या पैक करना।

11.	100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पी.वी.सी. बैनर।
12.	सटीरर्र।
13.	80 ग्राम वर्ग मीटर (जी.एस.एम.) से कम गैर बुने प्लास्टिक बैग।
14.	खाद बनाने योग्य जीव नाशित कैरी बैग।

कोई भी व्यक्ति, संस्थान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय, होटल दुकाने, रेस्तरां, मिठाई की दुकाने, ढ़ाबे, धार्मिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, वैक्वेट हॉल आदि) उपरोक्त प्रतिषेध को भंग करता है तो वह पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धो के अनुसार शस्ति का दायी होगा;

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, और अनुमोदन प्रदान करते है कि साठ ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक और अस्सी ग्राम प्रति वर्ग मीटर से कम वजन वाले गैर–बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग के समस्त विनिर्माताओं और उपरोक्त पैरा–3 के स्तम्भ संख्या 14 में यथा वर्णित खाद बनाने योग्य/ जीवनाशित बैगों का अपनी स्थापित इकाई में विनिर्माण इस शर्त के अध्यधीन कि इनकी बिक्री हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर की जाएगी, जारी रख सकते है।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश जीवअनाशित कुडा–कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 7(क) और 11(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त पैरा–1 में निर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, और धारा–11 के अधीन किसी अपराध शमन करने, धारा 7(क) के अधीन प्रवेश और निरीक्षण के लिए उपाबन्ध क में अन्तर्विष्ट ब्यौरे के अनुसार अधिकारियों को प्राधिकृत करते है।

सम्बद्ध प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों), पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के शमन के समय, निम्नलिखित मापदंडो के अनुसार शमन रकम विनिर्दिष्ट करेगा (करेगें)।

कम संख्या	प्रतिषिद्व प्लास्टिक और खाद बनाने योग्य जीव नाशित प्लास्टिक कैरी बैग की मात्रा	रकम
1.	100 ग्राम तक	500
2.	101 ग्राम से 500 ग्राम	1500
3.	501 ग्राम से 1 कि0ग्रा0	3,000
4.	1 किलोग्राम से अधिक और 5 किलोग्राम तक	10,000
5.	5 किलोग्राम से अधिक और 10 किलोग्राम तक	20,000
6.	10 किलोगग्रम से अधिक	25,000
(ख)	व्यक्ति (यों) या कोई संस्थान/व्यवसायिक प्रतिष्ठान (शैक्षणिक संस्थान,	

	कार्यालयो, होटल, दुकाने रेसन्तरा, मिठाई की दुकाने, ढाबे, धार्मिक सस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, वैंक्वेट हॉल आदि) अपने परिसर के अन्दर तथा सडकों, गलियां, पहाड़ी ढलान, नालियां, वन क्षेत्र, पब्लिक पाकों समस्त पब्लिक स्थानों आदि पर भोजन परोसने और भोजन का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक वस्तुओं, खाद बनाने योग्य जीव नाशित बैग का कचरा फैंकने।	

उपरोक्त प्रतिबन्ध तुरन्त प्रभाव से लागू होगा, सिवाय खाद बनाने योग्य जीवनाशित प्लास्टिक कैरी बैग के जिनका वर्णन पैरा–3 की क्रम संख्या 14 में किया गया है, जिनके लिए प्रतिबन्ध राजपत्र (ई–गजट) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन मास पश्चात् सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य में जनहित में प्रभावी होगा ताकि व्यक्ति, स्टॉकिस्ट, दुकानदार अपने स्टॉक का निपटान कर सकें और उन्हे कोई वित्तिय हानि भारित न हों।

आदेश द्वारा

मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीखः शिमला–2 21 –01–2025.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
2. निजि सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
3. निजि सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
4. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2
5. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, हिमाचल प्रदेश।
8. निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिमला–1
9. सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, हि0प्र0 न्यू शिमला–9
10. सहायक विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
11. समस्त आयुक्त / कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम / नगर परिषद हिमाचल प्रदेश ।
12. संरक्षण नस्ति।

21-01-2024

(सतपाल धीमान)
अतिरिक्त सचिव (पर्यावरण,वि0 प्रौ0 एवं ज0प0)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाष संख्याः 0177–2621874

उपाबंध–क

प्रतिषिद्ध (प्रतिबंधित) वस्तुओं के संबंध में अपराधों का शमन करने के लिए अधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या	विभाग	पदनाम
1.	राजस्व	1. सभी जिला मजिस्ट्रेट 2. सभी जिला उपायुक्त 3. सभी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट 4. सभी उप मण्डल मजिस्ट्रेट 5. सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार।
2.	पुलिस	1. सभी पुलिस अधीक्षक 2. सभी जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक 3. सभी उप पुलिस अधीक्षक 4. सभी हेड कांस्टेबल।
3.	शहरी विकास विभाग	1. सभी आयुक्त और सहायक आयुक्त नगर निगम 2. नगर परिषदों के सभी कार्यकारी अधिकारी 3. हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायतों के सभी सचिव 4. सभी स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम 5. शहरी स्थानीय निकायों के सभी मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक।
4.	स्वास्थ्य	1. सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी 2. सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी 3. सभी ऑषधि निरीक्षक।
5.	राज्य कर एंव आबकारी विभाग	1. सभी उप/सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त 2. सभी आबकारी एवं कराधान अधिकारी।
6.	वन	1. सभी प्रादेशिक प्रभागीय वन अधिकारी 2. सभी वन्यजीव प्रभागीय वन अधिकारी 3. सभी सहायक वन संरक्षक 4. सभी रेंज वन अधिकारी

		5. सभी उप रेंज वन अधिकारी/ब्लॉक वन अधिकारी।
7.	पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन	1. पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक/अतिरिक्त निदेशक 2. पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभी पर्यावरण इंजीनियर और वैज्ञानिक अधिकारी 3. हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के सभी पर्यावरण इंजीनियर और वैज्ञानिक अधिकारी।
8.	पर्यटन	1. हिमाचल प्रदेश के सभी जिला पर्यटन विकास अधिकारी जो जिलों में तैनात है 2. हि0 प्र0 पर्यटन होटल के सभी महाप्रबंधक, उप–महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबधक और प्रबंधक।
9.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1. हिमाचल प्रदेश के सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक 2. सभी खाद्य निरीक्षक 3. सभी खाद्य सुरक्षा निरीक्षक।
10.	ग्रामीण विकास विभाग/पंचायती राज	1. सभी खंड विकास अधिकारी 2. सभी पंचायत निरीक्षक, उप–पंचायत निरीक्षक और ग्राम पंचायतों के सचिव।
11.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	1. सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी 2. हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के सभी क्षेत्रीय प्रबंधक और बस अडडा प्रभारी।
12.	भाषा एवं संस्कृति विभाग	सभी मंदिर अधिकारी
13.	उद्योग	1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ विकास प्राधिकरण। 2. सभी कार्यकारी(अधीक्षण), अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ विकास प्राधिकरण 3. विभाग के डीआईसी, सभी उप निदेशक और महाप्रबंधक।

******